समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

मूल आवेदन संख्या 1062 सन् 2024

भानू सहाय बनाम भारत संघ एवं अन्य

आपत्ति / काउंटर एफिडेविट
(Objections/Counter Affidavit)

महोदय्

मैं, आवेदक भानू सहाय, पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सहाय निवासी- 32 लक्षमनगंज, थाना कोतवाली, झांसी उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक कहता हूँ कि इस आपत्ति-पत्र में अंकित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित हैं। जो निम्नवत है:

1. **प्रारंभिक आपत्ति-** नगर निगम झाँसी एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा दाखिल शपथपत्रों और रिपोर्टों में वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास किया गया है। माननीय NGT के आदेश दिनांक 16.08.2024 और 28.11.2024 का पालन अधूरा और असंतोषजनक है।

2. **निगम का भ्रामक हलफनामा-** नगर निगम द्वारा दिनांक 15.03.2025 को दाखिल हलफनामे में दावा किया कि सभी नालों की टेपिंग पूर्ण हो चुकी है और 26 MLD STP चालू हो चुका है।

जबकि समिति रिपोर्ट (19.07.2025, 23.11.2024) और आवेदक के निरीक्षण (20.08.2025) ने स्पष्ट कर दिया कि नगर निगम के दावे असत्य हैं।

3. **आवेदक का निरीक्षण-** आवेदक द्वारा दिनांक 20.08.2025 को स्थलीय निरीक्षण करने पर निम्नलिखित गंभीर तथ्य सामने आए:

1. रिपोर्ट में अंकित शहर के चार बड़े नाले और कई छोटे-2 नाले सीधे नदी में गिर रहे हैं।
2. सभी SPS अव्यवस्था में एवं बंद हैं।
3. चार बड़े नालों की टेपिंग अधूरी और क्षतिग्रस्त है।
4. नदी का सीमांकन व ग्रीन बेल्ट विकसित नहीं हुए।

5. नदी का अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
6. नदी की जलकुंभी, गाद व मलबा हटाया नहीं गया है।

स्थलीय निरीक्षण फोटोग्राफ

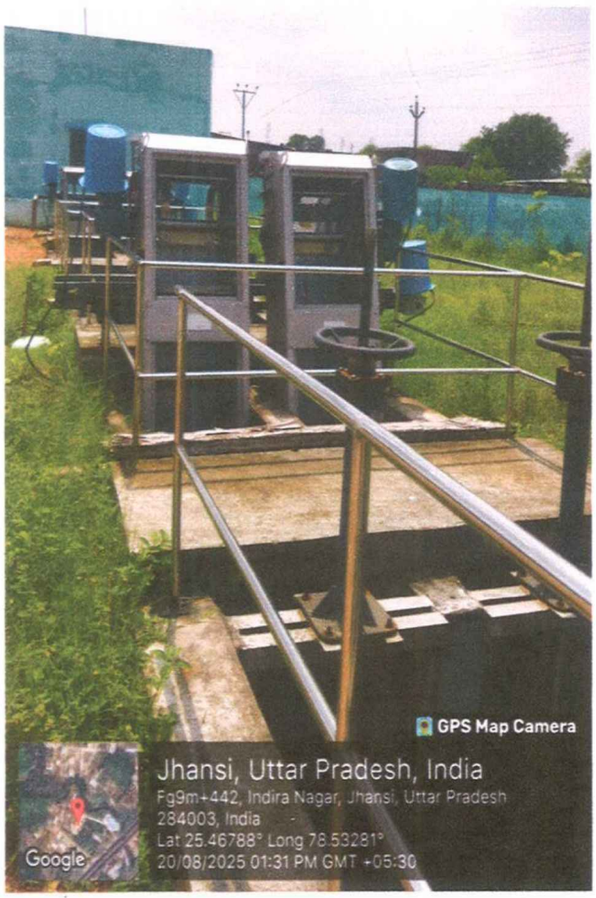

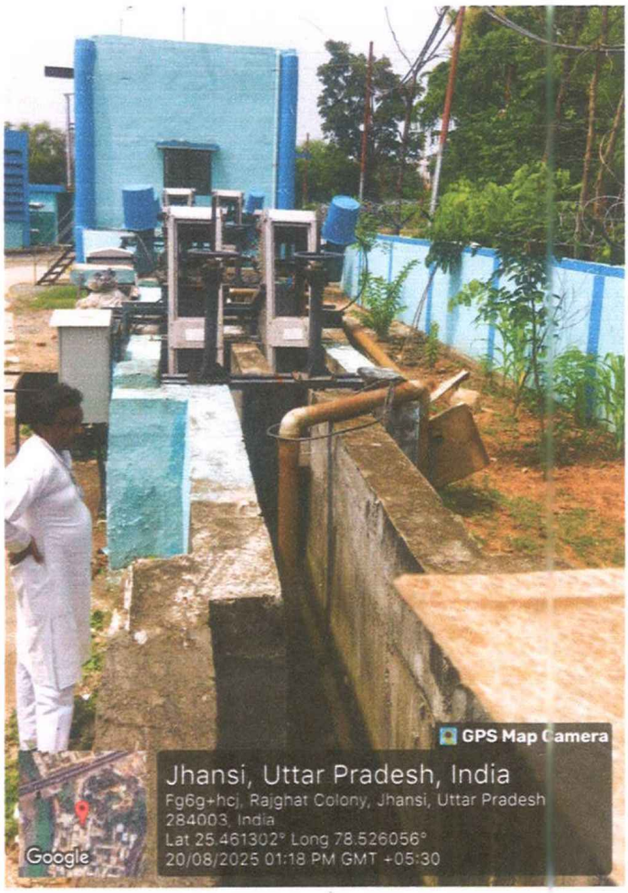

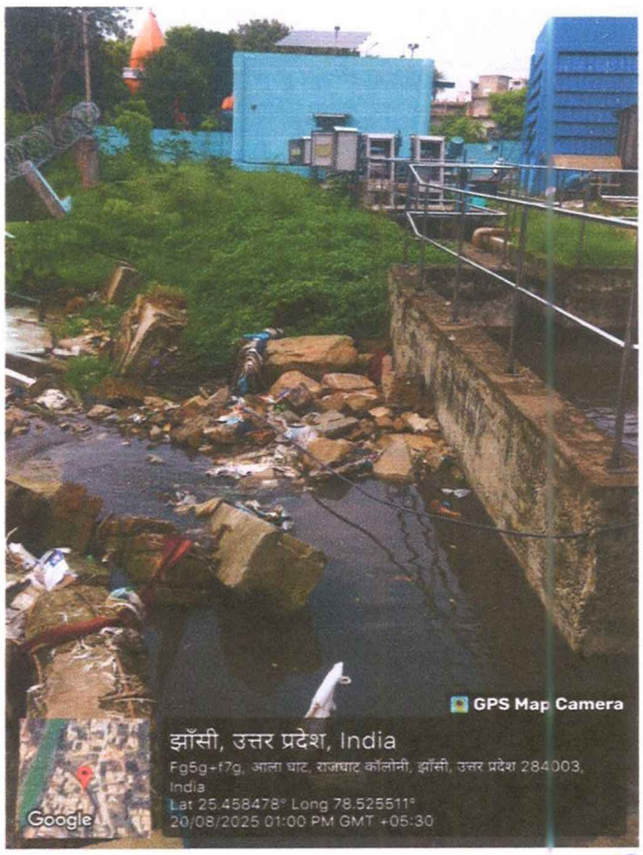

NOTARY
MANSINGH YADAV
Distt.-JHANSI
Regn. No.-6488/08

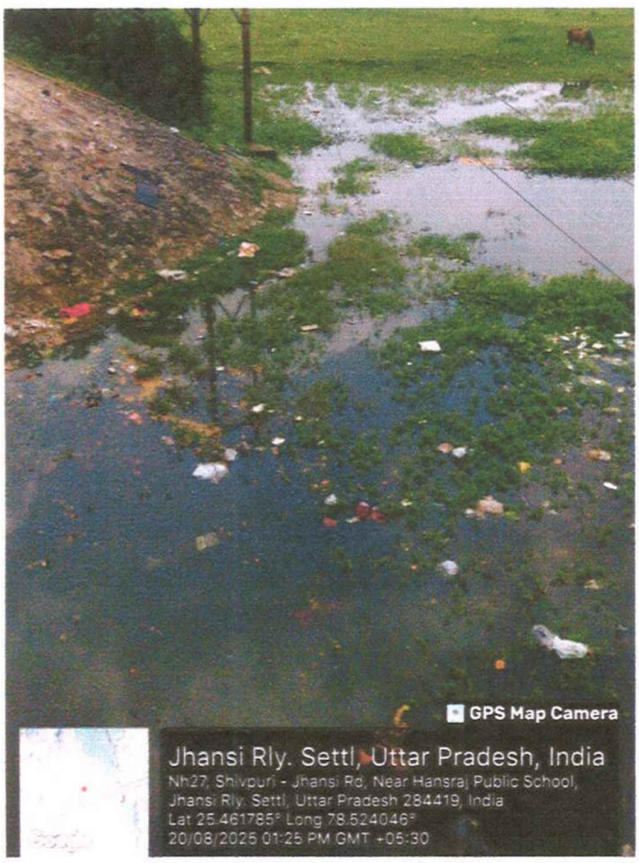

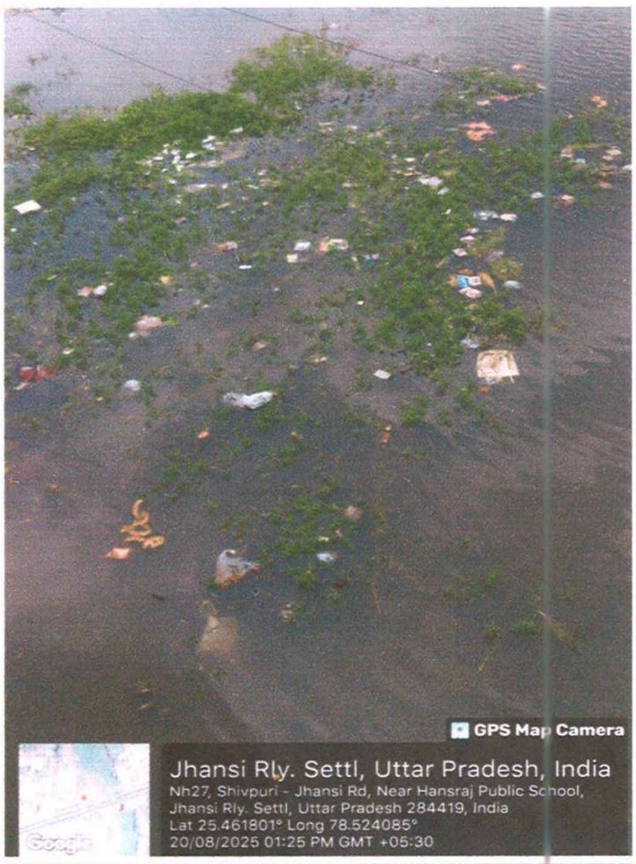

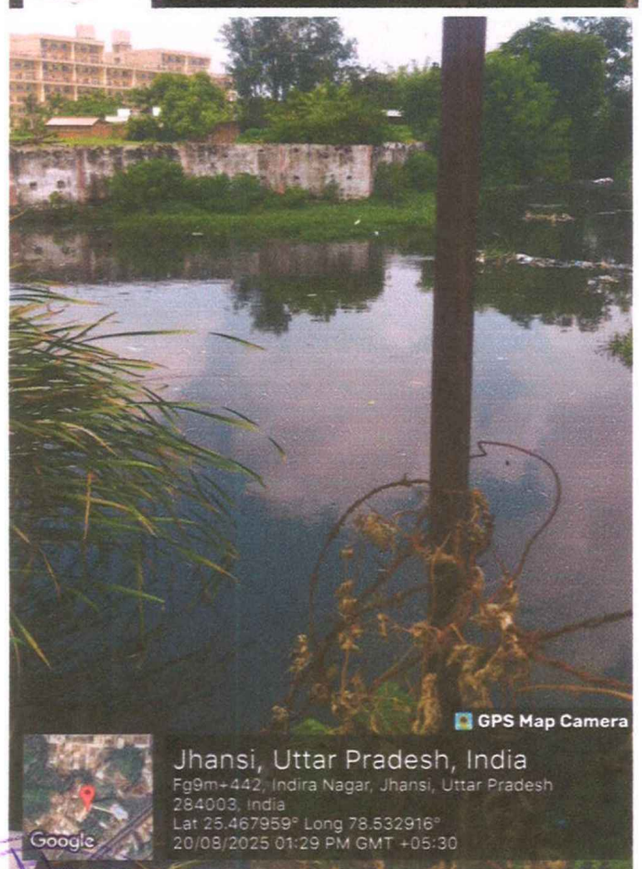

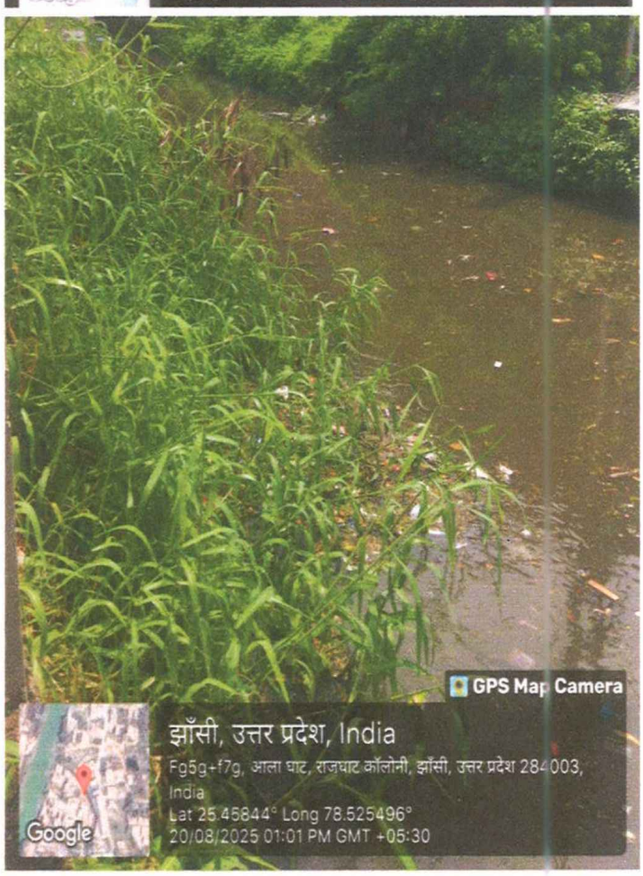

नगर निगम का यह आचरण माननीय NGT के आदेशों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974 एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। उक्त तथ्यों के समर्थन में निरीक्षण के समय खींचे गए फोटोग्राफ संलग्न हैं, जिनसे स्पष्ट है कि पहुज नदी में कच्चा सीवेज सीधे डाला जा रहा है।

4. झाँसी विकास प्राधिकरण (JDA) के उत्तर दिनांक 23.07.2025 पर आपत्ति/खंडन-

1. झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा पैरा 1 में यह दावा किया है कि प्रदूषण नियंत्रण, नाले जोड़ने एवं STP/SPS संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम एवं जल निगम की है। यह दावा असत्य एवं भ्रामक है, क्योंकि NGT एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नदी का सीमांकन, अतिक्रमण हटाना और ग्रीन बेल्ट विकसित करना प्रत्यक्ष रूप से विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। निरीक्षण दिनांक 20.08.2025 से सिद्ध है कि उपरोक्त में से कोई भी कार्य नहीं किया गया।
2. JDA द्वारा पैरा 2 में कहा गया कि विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं और अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रगति पर है। यह दावा भी तथ्यहीन है क्योंकि नदी किनारे भारी अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण जस का तस मौजूद है। JDA ने कोई प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केवल औपचारिक बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा गया है।
3. JDA द्वारा पैरा 3 में यह कहा है कि उसने NGT के आदेशों का अनुपालन किया है। किंतु न तो किसी कार्य की तिथि, न ही खर्च का विवरण और न ही वास्तविक प्रगति का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। यह दावा केवल औपचारिक और भ्रामक है।
4. JDA द्वारा पैरा 4 में नगर निगम/जल निगम पर जिम्मेदारी डालना आंशिक रूप से सही है, परंतु JDA भी Jhansi Development Authority होने के नाते नालों का नक्शा, अवैध निर्माण रोकना, दिशा निर्धारण और मास्टर प्लान/भूमि उपयोग योजना लागू करने का जिम्मेदार है। यदि नगर निगम गलत तरीके से नाले नदी में डाल रहा है, तो उस पर रोकथाम करना और नियोजन में सुधार करना JDA का कर्तव्य था।
5. JDA द्वारा पैरा 5 में स्वयं को केवल "सहयोगी एजेंसी" बताकर अपनी जिम्मेदारी सीमित करने का प्रयास किया है। यह तथ्य छुपाने का प्रयास है कि JDA नदी संरक्षण और शहरी नियोजन में समान रूप से जवाबदेह है। JDA की निष्क्रियता के कारण अतिक्रमण, ग्रीन बेल्ट का अभाव और नदी प्रदूषण की समस्या गंभीर बनी हुई है।

निष्कर्ष – झाँसी विकास प्राधिकरण ने अपने उत्तर में मुख्य जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, अप्रमाणित एवं भ्रामक दावे किए और अन्य एजेंसियों पर दोष मढ़ने का प्रयास किया। इसलिए JDA को भी इस प्रकरण में समान रूप से दोषी मानते हुए उसके अधिकारियों पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

5. नदी प्रदूषण की स्थिति, समिति रिपोर्ट एवं निरीक्षण से प्रमाणित-

1. चार बड़े नालों से लगभग 26 MLD बिना उपचार का सीवेज पहुज नदी में प्रवाहित हो रहा है।
2. छोटे-छोटे नालों को टेप नहीं किया गया और वे भी सीधे नदी में गिर रहे हैं।
3. नगर निगम द्वारा निर्मित SPS अव्यवस्था में और बंद पड़े हैं।
4. नदी में जलकुंभी, गाद और मलबा भरा है तथा सफाई नहीं की गई।
5. पूजा सामग्री एवं ठोस कचरा घाटों पर फेंका जा रहा है।
6. नदी का सीमांकन, ग्रीन बेल्ट विकसित और अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं किया गया।

NOTARY MANSINGH YADAV Distt.-JHANSI Regn. No.-8488/08

6. **यूपीपीसीबी की भूमिका-** यूपीपीसीबी द्वारा दिनांक 19.03.2025 को दाखिल अनुपालन शपथपत्र में नगर निगम झाँसी पर ₹16.10 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाया।

जब कि वास्तविकता यह है कि यह जुर्माना दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर लगाया जाना चाहिए था, जिन्होंने सरकारी धन का बंदरबांट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं NGT की गाइडलाइनों के विपरीत शहर के नालों को सीधे नदी में प्रवाहित किया है।

यूपीपीसीबी द्वारा जानबूझकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों को बचाने के उद्देश्य से यह जुर्माना विभाग पर सामूहिक दंड लगाया है, जिससे असली दोषी बच गये है, इस जुर्माना का बोझ जनता पर पड़ रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है।

7. विभाग पर जुर्माना लगाने के परिणाम-

1. जनता पर सीधा आर्थिक बोझ- नगर निगम का पैसा जनता के टैक्स, हाउस टैक्स, पानी-नाली शुल्क आदि से आता है। जुर्माने की भरपाई इन्हीं स्रोतों से होगी। यानी भ्रष्ट अधिकारियों की गलती का खामियाज़ा निर्दोष नागरिक भुगत रहीं है।

2. असली दोषी बच जाते हैं- जिन अधिकारियों/ठेकेदारों ने विकास कार्यों के नाम पर धन का दुरुपयोग किया, सीवेज प्रबंधन नहीं किया और शहर के नालों को सीधे नदी में डालने का कार्य किया, वे जिम्मेदारी से बच गये हैं। विभाग पर सामूहिक जुर्माना लगाने से जिम्मेदार और दोषी अधिकारी जवाबदेही से मुक्त हो गये है।

न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन-

1. पर्यावरणीय कानून (जैसे "Polluter Pays Principle") का मूल सिद्धांत है कि जो प्रदूषण फैलाए वही भुगतान करे।

2. विभाग पर जुर्माना लगाना इस सिद्धांत के विरुद्ध है क्योंकि असली प्रदूषक/दोषी व्यक्ति/अधिकारी दंडित नहीं होता।

NOTARY MANSINGH YADAV Distt.-JHANSI Regn. No.-6488/03 Validity 03-08-28

भ्रष्टाचार और लापरवाही को बढ़ावा-

1. अगर अधिकारियों को पता हो कि दंड विभाग पर पड़ेगा, तो वे बेफिक्र होकर लापरवाही करते रहेंगे।
2. इससे "Accountability" (जवाबदेही) खत्म हो जाती है और भविष्य में भी प्रदूषण की समस्या बनी रहती है।

 P.T.O.

8. **निष्कर्ष-** नगर निगम और यूपीपीसीबी के दावे वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाते। निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा जानबूझकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं NGT के आदेशों/गाइडलाइनों का घोर उल्लंघन कर शहर के नालों को सीधे नदी में डाला है। नदी प्रदूषण और अतिक्रमण की समस्या अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जनता निर्दोष होते हुए भी दंड एवं प्रदूषण की मार झेल रही है और मझबूरन नदी का गंदा पानी पीकर बीमार हो रही है। जबकि निगम के दोषी अधिकारी और ठेकेदार मौज कर रहे है। जिन पर कोई कार्रवाई नहीं का जा रही है।

9. **विधिक स्थिति- "Polluter Pays Principle"** का मूल उद्देश्य है कि जिसने प्रदूषण फैलाया वही भुगतान करे। यूपीपीसीबी द्वारा दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों की जगह विभाग पर ₹16.10 करोड़ का जुर्माना लगाकर "नगर निगम यानी जनता" को दंडित करना इस सिद्धांत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. NGT की गाइडलाइनों के विपरीत है। इस लिए उक्त ₹16.10 करोड़ का जुर्माना विभाग की जगह दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों से वसूला जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार रोका जा सके।

10. **नदी को प्रदूषण और अतिक्रमण से बचाने के उपचार-**

1. सभी छोटे और बड़े नालों को तत्काल टेप कर SPS/STP से जोड़ा जाए।
2. सभी SPS/STP को पूर्ण क्षमता से चालू कर उसकी निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त की जाए।
3. मास्टर प्लान एवं राजस्व अभिलेखानुसार पहुज नदी का सीमांकन कर, अतिक्रमण हटाकर, ग्रीन बेल्ट विकसित की जाए।
4. नदी से जलकुंभी, गाद और मलबा हटाने का कार्य प्राथमिकता से कराया जाए।
5. निगम के जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कर, दोषियों पर वित्तीय एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
6. यदि नगर निगम से मुआवज़ा वसूला गया है तो उसकी रिकवरी दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों से करवाई जाए।
7. नगर निगम और यूपीपीसीबी को मासिक आधार पर कार्य प्रगति और जल गुणवत्ता रिपोर्ट इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
8. झूठे हलफ़नामे और भ्रामक रिपोर्ट दाख़िल करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए।
9. मा. अधिकरण द्वारा दिए गए पूर्व आदेशों (दिनांक 16.08.2024 एवं 28.11.2024) का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

11. **सुझावित मसौदा (Prayer Clause)-** अब तक नगर निगम और यूपीपीसीबी द्वारा झूठे, अधूरे और भ्रामक अभिलेखीय दस्तावेज़ (रिपोर्ट व शपथपत्र) प्रस्तुत किए गए हैं जो वास्तविक स्थलीय स्थिति पूरी तरह अलग है। इसलिए उक्त प्रकरण में वास्तविक स्थिति का पता लगाने हेतु माननीय अधिकरण, एक स्वतंत्र केंद्रीय/राष्ट्रीय स्तर की समिति के माध्यम से विस्तृत अभिलेखीय एवं

NOTARY MANSINGH YADAV Distt.-JHANSI Regn. No.-8488/06 Valid upto 03-08-28

P.T.O.

स्थलीय परीक्षण (Documentary & Field Verification) कराया जाना अति-आवश्यक है। जिसमें निम्न संस्थाओं के विशेषज्ञ शामिल हों —

1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
2. नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (NEERI)
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF\&CC)
4. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB)
5. सेंट्रल वाटर कमीशन (CWC)

समिति को यह दायित्व सौंपा जाए कि वह –

1. अब तक दाखिल सभी अभिलेखीय दस्तावेज़ों (मा. NGT के आदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट, नगर निगम हलफ़नामा, यूपीपीसीबी शपथपत्र एवं संयुक्त समिति रिपोर्टों) का विस्तृत अभिलेखीय परीक्षण (Documentary Scrutiny) करे।
2. स्थलीय परीक्षण (Field Inspection) कर यह रिपोर्ट करे कि वास्तव में नाले, SPS, STP, नदी का सीमांकन, ग्रीन बेल्ट विकास एवं सफाई की स्थिति क्या है।
3. अपनी जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट करे कि नगर निगम/यूपीपीसीबी द्वारा दायर पूर्व रिपोर्टें असत्य/भ्रामक थीं या नहीं।
4. दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय कर Polluter Pays Principle के अनुसार व्यक्तिगत कार्यवाही की अनुशंसा करे।

ऐसी स्वतंत्र समिति ही इस प्रकरण की सच्चाई सामने लाने, प्रदूषण नियंत्रण के ठोस उपाय सुझाने और माननीय NGT के आदेशों के वास्तविक अनुपालन को सुनिश्चित कर सकेगी।"

प्रार्थना

अतः माननीय न्यायाधिकरण से प्रार्थना है कि:

1. उक्त प्रकरण में वास्तविक तथ्यों के आकलन हेतु पैरा 11 में सुझावित मसौदा (Prayer Clause) के अनुसार एक स्वतंत्र केंद्रीय/राष्ट्रीय स्तर की समिति गठित कर सभी अभिलेखीय दस्तावेज़ों का परीक्षण कर तथा स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का तथ्यात्मक आकलन कर माननीय अधिकरण के समक्ष सत्य रिपोर्ट मंगवाई जाय।

2. यूपीपीसीबी द्वारा विभाग पर लगाएं गये ₹16.10 करोड़ के जुर्माने को विभाग की जगह दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों से रिकवरी के निर्देश दिये जाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार रोका जा सके।

3. यूपीपीसीबी और नगर निगम के झूठे हलफ़नामे और भ्रामक रिपोर्ट दाख़िल करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्यवाही की जाए।

NOTARY MANSINGH YADAV Distt.-JHANSI Regn. No.-8488/08 Validity 03-08-28 GOVT. OF INDIA

 P.T.O.

सत्यापन (Verification)

मैं, भानू सहाय, पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सहाय निवासी- 32 लक्षमनगंज, थाना कोतवाली, झांसी उत्तर प्रदेश अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार घोषित करता हूँ उपरोक्त तथ्य सत्य एवं सही और यह भी सत्यापित करता हूँ कि इसमें से कुछ भी असत्य नहीं है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 26-08-2025 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

दिनांक 26.08.2025

हस्ताक्षर
(भानू सहाय)

...7200/25
Certified that the foregoing statemen
Sworn before me this day at...
by Shri... Bhanu Sahai
whom the contents of this affidavit hav
been read over and explained and
is Identified by Shri...
Received the fee Rs.
26-8-25
MANSINGH YADAV
ADVOCATE
NOTARY [illegible]

NOTARY
MANSINGH YADAV
Distt.-JHANSI
Regn. No.-8488/08
Validity 03-08-28
OF INDIA